भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *157

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

जमा बीमा से संबंधित सीमा में वृद्धि

*157. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
डॉ. के. सुधाकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छोटे निवेशकों के हितों और विश्वास की रक्षा हेतु जमा बीमा के लिए 5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निवेशकों, स्थानीय बैंकों और राज्यों के मत क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“जमा बीमा से संबंधित सीमा में वृद्धि” के संबंध में श्री सुरेश कुमार शेटकर और डॉ. के. सुधाकर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 10.3.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *157 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार कुल जमा बीमा से संबंधित कवर बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी जमाराशियों के "समान क्षमता और समान अधिकार" में खाताधारक द्वारा धारित जमाराशियों के लिए प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार, डीआईसीजीसी समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति और समग्र रूप से देश की बैंकिंग प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से उपर्युक्त जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ा सकता है। परिणामत:, निक्षेप बीमा कवरेज की सीमा दिनांक 4.2.2020 से 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई थी। डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश की वित्तीय प्रणाली के हित पर विचार करता है ताकि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव दिया जा सके। सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी सहकारी बैंक अर्थात् प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जमा संबंधी बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।

*****